विवाद बनाम राजस्थान सरकार

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | नक्शा को श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर को वास्ते अनुमोदनार्थ भिजवाये जाने हेतु पत्र जारी किया जावे। वास्ते प्राप्त होने श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर का अनुमोदन बाबत पत्रावली दिनांक 20.11.2025 को पेश हो।<br>( अनिल कुमार )<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) |
| 5.12.25<br>4070/रीडर 20-11-25 | इकबाई तारीख पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वास्ते प्राप्त होने श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर का अनुमोदन बाबत पत्रावली दिनांक 8.1.26 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) |
| 31.12.2025 | वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी 08.01.2026 से पूर्व तलब होने पर आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण मे वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर से चाहा गया अनुमोदन जरिये पत्रांक 4756/राजस्व/2025 दिनांक 03.12.2025 के द्वारा प्राप्त हो जाने तथा श्रीमान् जिला कलक्टर महो. सीकर ने प्रकरण मे परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया है। इस [illegible] में अन्तिम निर्णय पारित किये जाने हेतु [illegible] निवेदन किया है। जिस पर बहस वकील प्रार्थीगण एकतरफा सुनी गई। दौराने [illegible] प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2235, 2237, 2238/1 कुल किता 3 कुल रकबा 4.0200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:37:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

प्र.सं. 251/RTA [illegible] 12/1/26

| | |
|---|---|
| | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |

उपलब्ध नहीं होने से ग्राम अजीतगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 2240 रकबा 5.3600 हैक्टर किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 52 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर (30 फीट) चौड़ाई अर्थात 476 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु भूमि खसरा नम्बर 2240 में उत्तर से दक्षिण की ओर 30 फीट डामरीकरण मुख्य सड़क जो प्रार्थी से खसरा नम्बर के कुछ ही दूरी पर समानान्तर गुजर रही है से दिया जाना प्रस्तावित करते हुए लाल स्याही से दर्शित भूमि को निकटतम भूमि होना अवगत कराया है तथा उक्त प्रस्तावित चाहे गये रास्ते में भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होना व प्रार्थी को उसकी जोत में खेती हेतु जाने के लिए इसकी आत्यांतिक आवश्यकता होना अवगत कराया है। उक्त चारागाह भूमि के बदले में प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 2235 की पूर्वी दिशा में चारागाह भूमि के सटाकर कुल 0.0476 हैक्टर भूमि को चारागाह भूमि हेतु समर्पण किये जाने हेतु राज्य सरकार के परिपत्र कमांक पं. 10 (13) राज–6 / 2001 / 27 दिनांक 14.08.2025 में वर्णित निर्देशानुसार प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर ने अपने पत्रांक 4756 / राजस्व / 2025 दिनांक 03.12.2025 के द्वारा प्रकरण में अपने पत्र कमांक 3432 / राजस्व / 2025 दिनांक 03.09.2025 एंव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश कमाक प. 8 (ग) (66) नियम / डीएलबी / 2025 / 5021 दिनांक 17.09.2025 एंव स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 01.09.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर द्वारा निर्देशित किया गया है। इसी अनुसार प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस [illegible] सुनी तथा बहस पर सगौर मनन किया [illegible] दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2074 [illegible] की प्रति [illegible] ट्रेस की प्रति, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रि[illegible] दिनांकित 03.11.2025 एंव श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर के पत्रांक 4756 / राजस्व / 2025 दिनांक 03.12.2025 द्वारा प्राप्त पत्रादि इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:37:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | [illegible] |

प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2235, 2237, 2238/1 कुल किता 3 कुल रकबा 4.0200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 2235, 2237, 2238/1 कुल किता 3 कुल रकबा 4.0200 हैक्टर में आवागमन हेतु ग्राम अजीतगढ़ की अन्य चारागाह भूमि खसरा नम्बर 2240 रकबा 5.3600 हैक्टर किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 52 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर (30 फीट) चौड़ाई अर्थात 476 वर्गमीटर भूमि मुख्य सडक से रास्ते को जोड़ने हेतु रास्ता चाहा गया है तथा उक्त चाहा गया प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम होना तथा चाहे गये रास्ते में भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से प्रकट होता है। चारागाह भूमियों में से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट के तहत चाहा गया रास्ता राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के नवीन परिपत्र कमांक प. 10 (13) राज–6/2001/27 दिनांक 14.08.2025 में वर्णित निर्देशानुसार चारागाह भूमि में से प्रस्तावित रास्ते के बदले उतनी ही भूमि प्रार्थीगण द्वारा चारागाह भूमि से लगती हुई अपनी भूमि में से राज्य सरकार को चारागाह हेतु समर्पित किये जाने की शर्त पर ही देय होने तथा इस बाबत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होता है। जिसके कारण प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट में प्रस्तावित चारागाह भूमि में से रास्ता दिये जाने की स्थिति में उतनी ही भूमि के बदले में चारागाह भूमि से लगती हुई स्वंय खातेदार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2235 की पूर्वी दिशा में चारागाह भूमि के बराबर कुल रकबा 0.0476 हैक्टर भूमि को चारागाह भूमि हेतु समर्पित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया है। जिस हेतु प्रार्थीगण ने अपनी सहमति दी है। इस प्रकार चारागाह में से रास्ता दिये जाने के उपरान्त ही चारागाह भूमियों का रकबा यथावत बना रहेगा। जिस पर न्यायालय के पत्रांक 4070/रीडर/2025 दिनांक 20.11.2025 द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर से परिपत्र आदेशों में वर्णित निर्देशानुसार अनुमोदन चाहा गया। जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:37:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (सीकर)

[illegible] बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

| हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|
| प्र० पत्र 251 R TA — 12/2/24 | |

पालना में श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर के जरिये पत्रांक 4756/राजस्व/2025 दिनांक 03.12.2025 के द्वारा पत्र प्राप्त हो चुका है। श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर ने अपने पत्र क्रमांक 3432/राजस्व/2025 दिनांक 03.09.2025 एंव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश कमाक प. 8 (ग) (66) नियम/डीएलबी/2025/5021 दिनांक 17.09.2025 एंव स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 01.09.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया है। इन निर्देशित पत्रों/परिपत्रों में नगरपालिका क्षेत्र में स्थिति राजकीय भूमियों यथा सिवायचक गोचर इत्यादि को नगरपालिकाओं को स्थानान्तरित किये जाने का प्रावधान है। चूंकि इस प्रकरण में चारागाह भूमियों में से राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के नवीन परिपत्र कमांक प. 10 (13) राज–6/2001/27 दिनांक 14.08.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने की पालना में गोचर भूमि में से रास्ता दिये जाने के बदले उतनी ही भूमि प्रार्थी खातेदार द्वारा चारागाह हेतु समर्पित किये जाने से चारागाह भूमियों के कुल रकबे में कोई अन्तर नहीं पड़कर वह यथावत रहेगा और इस प्रकार चारागाह भूमियों सहित अन्य राजकीय भूमियों को स्वायत्त शासन विभाग के आदेश/स्पष्टीकरण अनुसार तहसीलदार इन भूमियों को नगरपालिका को नियमानुसार स्थानांतरण करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार उक्त प्राप्त निर्देशों की पालना में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट को न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैक[illegible] नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने तथा रास्ते [illegible] आवश्यकता होने के कारण प्रार्थीगण [illegible] अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –195[illegible] के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:37:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

विक्रय बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | प्रा० पत्र 25/RTA जारी 122/24 |

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2235, 2237, 2238/1 कुल किता 3 कुल रकबा 4.0200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 2235, 2237, 2238/1 कुल किता 3 कुल रकबा 4.0200 हैक्टर में आवागमन हेतु ग्राम अजीतगढ़ की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 2240 रकबा 5.3600 हैक्टर किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 52 मीटर लम्बाई व 9.15 मीटर (30 फीट) चौड़ाई अर्थात 476 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये नजरी नक्शा में दर्शितानुसार रास्ता दिया जाता है तथा उक्त दिये जाने वाले रास्ते के बदले में प्रार्थीगण खातेदारान् की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2235 की पूर्वी दिशा में तहसीलदार रिपोर्ट में दर्शितानुसार चारागाह भूमि के सटाकर कुल रकबा 0.0476 हैक्टर भूमि को चारागाह भूमि हेतु समर्पित किया जाकर चारागाह भूमि में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिलानाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने व प्रार्थीगण के द्वारा उतनी ही भूमि स्वंय की भूमि में से चारागाह हेतु समर्पित किये जाने के कारण चारागाह भूमियों का रकबा यथावत रहेगा। रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिलानाम सरकार किस्म गैरमुमकिन होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से रकबा कम करने के बाद खातेदारी बदस्तुर जमाबन्दी रखी जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्तानुसार चारागाह हेतु भूमि समर्पण उपरान्त प्रस्तावित रास्ते के नामान्तकरण की कार्यवाही की जावें तथा यह भी निर्देश दिये जाते है कि वह जिला कलेक्टर सीकर के पत्रांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:37:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(सीकर)

निर्णय बनाम राज्य नगरपालिका श्रीमाधोपुर तहसील ...

| हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये |
|---|---|
| प्रा० पत्र 25 / R.T.A.     ...-122/24 | |

3432 / राजस्व / 2025 दिनांक 03.09.2025 एंव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश कमाक प. 8 (ग) (66) नियम / डीएलबी / 2025 / 5021 दिनांक 17.09.2025 एंव स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 01.09.2025 में दिये गये निर्देशानुसार नगरपालिका क्षेत्र में स्थित गौचर सहित समस्त राजकीय भूमियों के नगरपालिका के नाम स्थानान्तरण की कार्यवाही अविलम्ब करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा को निर्णय का भाग बनाया जाता है। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदारान् के हिस्से पर यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जाकर तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

( अनिल कुमार )
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
( अनिल कुमार )
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:37:03 IST
Reason: SelfAttested